न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
08/2012/प्रा.पत्र/2012	10.05.2012	01.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री रायचन्द जैन पुत्र श्री राम लाल जैन मैसर्स रायचन्द बिच्छू मल बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
2–मैसर्स रायचन्द बिच्छू मल बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
3–श्री कजोड मल जैन पुत्र श्री लच्छी राम जैन निवासी बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
4–मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
5–श्री जगदीश प्रसाद पोरवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पोरवाल एम–49, महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर पार्टनर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वितीय तल अरिहंत कॉम्प्लेक्स नाहरगढ़ रोड जयपुर
6–श्री राधेश्याम पोरवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पोरवाल एम–49, महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर पार्टनर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वितीय तल अरिहंत कॉम्प्लेक्स नाहरगढ़ रोड जयपुर
7–मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वितीय तल अरिहंत कॉम्प्लेक्स नाहरगढ़ रोड जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–श्री तेजमल जैन एड. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 01.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2011 को समय 05:15 पीएम पर मैसर्स रायचन्द बिच्छू मल बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री रायचन्द जैन पुत्र श्री राम लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रायचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के बोरे में 100–100 ग्राम पैक में **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** के 900 पैकेट रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रायचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रायचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 100–100 ग्राम के 20 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** 100–100 ग्राम के 20 पैकेट को चार साफ व सूखे कागज के प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 4–4 पैकेट रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–110 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–110 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री रायचन्द जैन पुत्र श्री राम लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया तथा आवेदक द्वारा मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी से पत्र व्यवहारी करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वितीय तल अरिहंत कॉम्प्लेक्स नाहरगढ़ रोड जयपुर का बिल पेश कर इसे निर्माता फर्म होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4163 दिनांक 01.12.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./80/एफएसएसए/2011/89 दिनांक 11.11.2011 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरेक्त जिला मांजस्ट्रट
टोंक

होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.08.2022 को अभिभाषक श्री तेजमल जैन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अप्रार्थी सं. 5 श्री जगदीश प्रसाद पोरवाल एवं अप्रार्थी सं. 6 श्री राधेश्याम पोरवाल की मृत्यु हो चुकी है एवं अप्रार्थी सं. 6 का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की गई। शेष अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा जिस **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** का विक्रय किया जा रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय पत्ति (माहेश्वरी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं. 5 ता 7 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.11.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक